निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 94 / 2024
दायरा दिनांकः—23.07.2024
निर्णय दिनांकः— 24.12.24

उनवान

1. रूपनारायण आयु 52 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति मीणा निवासी बावबडीखेडा तहसील छबडा तहसील छबड़ा जिला बारां राज

बनाम

1. मांगीलाल आयु 65 वर्ष पुत्र कालू जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
2 दानमल आयु 63 वर्ष पुत्र कालू जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
3 रंगलाल आयु 55 वर्ष पुत्र कालू जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
4. भोजराज आयु 40 वर्ष पुत्र कालू जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
5 जानकीलाल आयु 50 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
6 धन्नालाल आयु 55 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
7. मोगराज आयु 40 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
8 रमिचस्ण आयु 45 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
9 कैजोड आयु 88 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
10. धीरपसिंह आयु 40 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
11. बबलू आयु 35 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
12. शिवचरण आयु 45 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
13 रामुक्रल्याण आयु 40 वर्ष पुत्र जानकीलाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
14 मुकेश आयु 32 वर्ष पुत्र जानकीलाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
15. मंगदीश आयु 45 वर्ष पुत्र गंगाराम जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
16 रामदयाल आयु 42 वर्ष पुत्र गंगाराम जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
17. परमानन्द आयु 40 वर्ष पुत्र गंगाराम जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
18 नन्दकिशोर आयु 65 वर्ष पुत्र जमनालाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
19. भोलाराम आयु 50 वर्ष पुत्र जमनालाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
20. समकरण आयु 52 वर्ष पुत्र जमनालाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
21. शोभाराम आयु 40 वर्ष पुत्र जमनालाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
22 राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188,183, आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 24.12.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भगवान बलरिया — वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा,188,183 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वादी कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि खसरा न. 213 / 119 (119 / 1) रकबा 0.7966 हेक्टर

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

(3बीघा 3 विस्वा) वाके माल ग्राम खेडला तहसील छबडा जिला बारां राज. में अवस्थित है। जिसका इन्द्राज जमाबन्दी रेवेन्यू रिकार्ड मे अंकित है। जिसकी जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र प्रस्तुत है। उक्त वादी की आराजी से लगवा भूमि खसरा न. 119/119, 214/119 एवं 118 प्रतिवादीगण एवं उनके परिजनो के खातेदारी व कब्जे काश्त में हैं। एवं एक तरफ रोड वाके माल ग्राम खेडला तहसील छबड़ा जिला बारां राज. में अवस्थित है। प्रतिवादीगण एवं उनके परिजन वादी की भूमि पर वैध रूप अतिक्रमण करना चाहते हैं। इसलिए आऐ दिन अकारण सीमा को लेकर विवाद करते रहते हैं। बार–बार वादी के खेत की मेढ़ को क्षतिग्रस्त कर उसे तोड़ते रहते हैं। मना करने पर लडाई–झगडा करने पर आमादा है। जिसका प्रतिवादी व उसके परिजन को कोई वैधानिक अधिकार नही है। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 10.7.2024 को वादी उक्त आराजी की मेढ़ को टेक्ट्रर व फावडे से तोडकर नष्ट करने का असफल प्रयास तो वादी ने मेढ को तोडने से मना किया तो प्रतिवादी व एवं उसके परिजन आक्रोश में आ गऐ तथा वादी से लडाई–झगडे व मारपीट पर आमादा हुऐ तथा वादी को जान से मारने की नियत से कुटीया व लकडीयों से वार किया वादी वहां से जान बचा कर भागा। नहीं तो जान से खत्म कर देते। इसके बाद उक्त लोगो ने वादी एवं उसके परिजन पातीदार मजदूर को उक्त भूमि पर आने–जाने पर उनके हाथ पैर काटने व जान से मारने की धमकी दी। जिससे वादी एवं उसके पारजन पातीदार मजदूर भयभीत है। इनके साथ कभी–भी अप्रिय घटना घटीत हो सकती है। इसलिए वादी उक्त आराजी के सीमा विवाद मेढ पर पत्थरगढ़ी कराकर उसका शान्तीपूर्वक उपयोग उपभोग करना चाहता हैं। इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा इस कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत प्रतिवादी को द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना चाहता है जो अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। वादी व प्रतिवादीगण की उक्त भूमि के बटवारां की अन्तिम डिक्री दिनांक 29.12.2021 को परित होने के बाद उक्त भूमि की पैमाईश व पत्थरगढी नही होने के कारण वादी की उक्त भूमि खसरा न. 213/119 का कुछ हिस्सा सीमा विवाद के कारण दबा लिया है। इसलिए वादी अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु अपनी भूमि की पेमाईश कराकर पत्थर गढी कराना चाहता है ताकि भविष्य में कोई विवाद उत्पनन ना हो ओर ना ही कोई जन–धन की क्षति हो। वादी को अपनी आराजी के शान्तीपूर्वक उसका उपभोग–उपयोग काश्त करने का पूर्ण वैधानिक अधिकार प्राप्त है। तथा प्रतिवादी, उसके परिजन, व प्रतिनिधि द्वारा वादी एवं उसके प्रतिनिधियों कृषि मजदूरो द्वारा उक्त भूमि खसरा न. 213/119 का शान्तीपूर्वक उसका उपभोग–उपयोग काश्त करने में किसी भी प्रकार की अतिक्रमण व बाधा उत्पन्न नही करने हेतु निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने व उक्त भूमि की पत्थरगढी कराना न्यायहित मे अत्यन्त आवश्यक व न्यायौचित है। वादी द्वारा उसकी भूमि के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नही करने बार–बार मेढ तोड कर कुछ हिस्से पर अस्थायी अतिक्रमण को हटाने बाबत् प्रतिवादीगण से अपनी–अपनी भूमि की पैमाईश व पत्थरगढी कराने बाबत समझाया गया इस सन्दर्भ में किये गए सभी प्रयास विफल होने पर वादी द्वारा माननीय न्यायालय की शरण में आने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहा। वाद कारण दिनांक दिनांक 10.7.2024 को वादी उक्त आराजी की मेढ़ को टेक्ट्रर व फावडे से तोडकर नष्ट करने का असफल प्रयास तो वादी ने मेढ को तोडने से मना किया तो प्रतिवादी व एवं उसके परिजन आक्रोश में आ गऐ तथा वादी से

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

लडाई–झगडे व मारपीट पर आमादा हुऐ तथा वादी को जान से मारने की नियत से कुटीया व लकडीयों से वार किया वादी वहां से जान बचा कर भागा। नही तो जान से खत्म कर देते। इसके बाद उक्त लोगो ने वादी एवं उसके परिजन पातीदार मजदूर को उक्त भूमि पर आने–जाने पर उनके हाथ पैर काटने व जान से मारने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। यदि प्रतिवादी व उसके प्रतिनिधियों को वादी की आराजी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने व मेढ़ तोड़कर अन्य हिस्से वादी पर अतिक्रमण करने की स्थिति में अकारण ही वादी को कई प्रकरणों में उलझना पड़ेगा। परिणामस्वरूप वादी को अपिरिमित क्षति होगी। जिसकी आपूर्ति असम्भव है

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खेडला तहसील छबडा में स्थित है। सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 102, नकल नक्शा ट्रेस नकल अन्तिम डिक्री मुकदना नम्बर 29/17 वउनवान बनाम रामनारायण बनाम मांगीलाल निर्णय दिनांक 29.12.2021 पेश की गई।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खेडला तहसील छबडा में स्थित है। वादी की आराजी के लगवा खसरा नम्बर 119/119 व 214/119 एवं 118 की भूमि प्रतिवादीगण एवं उनके परिजानों के खातेदारी व कब्जे काश्त में है प्रतिवादीगण वादी की उक्त आराजी की मेड तोडकर नष्ट करने का प्रयास किया।वादी अपनी आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराकर शान्ति पूर्वक उपभोग करना चाहता है वादी एवं प्रतिवादीगण की उक्त आराजी का बटवारां दिनांक 29.12.2021 को हो चुका है भूमि की पैमाईश व पत्थरगढी नही होने के कारण वादी की भूमि का कुछ हिस्सा सीमा विवाद के कारण दबा लिया है इसलिए वादी अपनी भूमि की पैमाईश कराकर पत्थरगढी कराना चाहता है। वादी का वाद स्वीकार किया जावें।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खेडला सम्वत् 2076–79 खाता संख्या 102 के खसरा नम्बर 213/119 रकबा 0.7966 रूपनारायण पुत्र रामगोपाल जाति मीणा सा0देह खोखई के खातेदारी में दर्ज है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पक्ष के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही किया। वादी अपने खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करवाना चाहता है चूंकि सम्पूर्ण प्रकरण में मुख्य विषय सीमा के विवाद को लेकर है प्रार्थी खसरा नम्बर 213/119 का खातेदार कृषक है तथा अपनी खातेदारी भूमि में बाधा उत्पन्न करने वालों को बेदखल करने एवं स्थायी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम खेडला तहसील छबडा के खसरा नम्बर 213/119 (119/1) रकबा 0.7966 है0 की पैमाईश करने बाद पैमाईश प्रतिवादीगण का कब्जा/अतिक्रमण हो तो बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाने हेतु तहसीलदार छबड़ा को आदेशित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करें। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्य 94/2024	धारा 188,183 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः— 25.12.25

समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**

उपस्थिति :अभिभाषकवादीः—श्री भगवान कृष्ण बलरिया—वादी	अभिभाषक प्रतिवादीः—

वाद शीर्षक

उनवान

1. रूपनारायण आयु 52 वर्ष पुत्र रामगोपाल जाति मीणा निवासी बावबडीखेडा तहसील छबडा तहसील छबड़ा जिला बारां राज

बनाम

1. मांगीलाल आयु 65 वर्ष पुत्र कालू जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
2 दानमल आयु 63 वर्ष पुत्र कालू जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
3 रंगलाल आयु 55 वर्ष पुत्र कालू जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
4. भोजराज आयु 40 वर्ष पुत्र कालू जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
5 जानकीलाल आयु 50 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
6 धन्नालाल आयु 55 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
7. मोगराज आयु 40 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
8 रमिचस्ण आयु 45 वर्ष पुत्र मांगीलाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
9 कैजोड आयु 88 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
10. धीरपसिंह आयु 40 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
11. बबलू आयु 35 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
12. शिवचरण आयु 45 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
13 रामुक्रल्याण आयु 40 वर्ष पुत्र जानकीलाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
14 मुकेश आयु 32 वर्ष पुत्र जानकीलाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
15. मंगदीश आयु 45 वर्ष पुत्र गंगाराम जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
16 रामदयाल आयु 42 वर्ष पुत्र गंगाराम जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
17. परमानन्द आयु 40 वर्ष पुत्र गंगाराम जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
18 नन्दकिशोर आयु 65 वर्ष पुत्र जमनालाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
19. भोलाराम आयु 50 वर्ष पुत्र जमनालाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
20. समकरण आयु 52 वर्ष पुत्र जमनालाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
21. शोभाराम आयु 40 वर्ष पुत्र जमनालाल जाति मीणा निवासी बावडीखेडा
22 राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिकी निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम खेडला तहसील छबडा के खसरा नम्बर 213/119 (119/1) रकबा 0.7966 है0 की पैमाईश करने बाद पैमाईश प्रतिवादीगण का कब्जा/अतिक्रमण हो तो बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करें।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 25.12.25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छबडा जिला—बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		